न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग/3245/II/15

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

दिनांक 3-10-15 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत। 3-10-15 SO

रामिलन तिवारी पुत्र गुलजारी तिवारी आयु 64 वर्ष निवासी ग्राम गुरैया तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

मोहनलाल तिवारी पुत्र भवानीदीन तिवारी आयु 79 वर्ष निवासी गुहानी तहसील लोढ़ी हाल नि. ग्राम गुरैया तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदक

3/10/15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

माननीय महोदय,

आवेदक निम्न प्रकार से निवेदन करता है :–

1. यहकि, आवेदन ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर के यहां अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.रा.स. 1959 के तहत विरूद्ध आदेश तहसीलदार छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्र. 40/अ.–19/82–83 में पारित आदेश दिनांक 26.07.1983 से दुखित होकर प्रस्तुत की थी माननीय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में कोई मैरिट पर आदेश न करते हुए अदम पैरवी में खारिज किया गया।

2. यहकि, आवेदक का शासकीय भूमि खसरा नं. 154, 155/7 पर वर्ष 1975 से लगातार काश्तकारी करते चले आ रहे है और मौके पर कब्जा चला आ रहा है।

3. यहकि, अनावेदक ग्राम गुवानी तहसील लोढ़ी का मूल निवासी है और रहा है जिसका वाद भूमि पर कभी कोई कब्जा व दखल नहीं रहा है और ना ही वर्तमान है परन्तु अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी महोदय से दुर्भि संधि करके अपने नाम विधि विपरीत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3247–दो/2015 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश राममिलन विरूद्ध मोहन लाल	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1 –12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्को एवं निगरानी ममों में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक–26.09.2013 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक–150/अपील/अ–19/10–11 में पारित आदेश दिनांक–20.08.2013 से प्रकरण आवेदक की एवं आवेदक के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया गया था जिसे पुनः नम्बर पर लिए जाने हेतु आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया किया जाना परिलक्षित हो रहा है जिसे अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में शपथपत्र एवं बीमारी के संबंध में डॉ0 का पर्चा संलग्न न करने का आधार लेकर पुनः प्रकरण नम्बर पर लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। यहां विचारणीय विन्दु यह है कि यदि प्रकरण को पुनर्स्थापित किया जाकर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में गुणदोष पर निर्णय पारित किया जाता है तो किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं होगी वहीं पक्षकारों को हानि होने से भी बचाया जा सकता है । इस संबंध में (1973 रा.नि. 376 दंगलिया वि.देशराज (हा.को.) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार को हानि न हो इसलिए पुनर्स्थापन आदेश दिया जा सकता है । अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक–26.9.2013 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी को आदेशित किया जाता है, कि वे अपने न्यायालय के प्रकरण कमांक–150/अपील/अ–19/10–11 को पुर्नस्थापित करते हुए उभयपक्षों को सनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में गुण दोष के आधार पर शीघ्र निर्णय पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे । प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य 1.12.15	